

RAJYA SABHA

Friday, the 17th March, 1961/the 26th
Phalgun, 1882 (Saka).

The House met at eleven of the
clock, MR. CHAIRMAN in the Chair.

PAPERS LAID ON THE TABLE

APPROPRIATION ACCOUNTS AND BLOCK
ACCOUNTS OF RAILWAYS AND APPRO-
PRIATION ACCOUNTS (POSTS AND TELE-
GRAPHS) FOR 1959-60 AND RELATED
PAPERS

THE MINISTER OF REVENUE AND
CIVIL EXPENDITURE (DR. B.
GOPALA REDDI): Sir, I beg to lay on
the Table, under clause (1) of article
151 of the Constitution, a copy each
of the following papers:—

- I. (i) Appropriation Accounts of
Railways in India for 1959-60
(Parts I and II). [Placed in
Library. See No. LT-2744/61
and No. LT-2745/61 for Parts
I and II respectively.]
- (ii) Block Accounts (including
Capital Statements comprising
the Loan Accounts), Balance
Sheets and Profit and Loss
Accounts of Indian Govern-
ment Railways, 1959-60.
[Placed in Library. See No.
LT-2746/61.]
- (iii) Audit Report, Railways, 1961.
[Placed in Library. See No.
LT-2743/61.]
- II. Appropriation Accounts (Posts
and Telegraphs) 1959-60 and
the Audit Report, 1961, there-
on. [Placed in Library. See
No. LT-2742/61.]

RESOLUTION RE PROHIBITION OF
MARRIAGES WHERE THE DIFFER-
ENCE BETWEEN THE AGES OF THE
SPOUSES IS MORE THAN FIFTEEN
YEARS—continued.

श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल (उत्तर
प्रदेश) : श्रद्धेय सभापति जी, अभी पन्द्रह बीस
दिन पहले इस प्रस्ताव को इस सदन के सम्मुख
प्रस्तुत करते हुये मैंने निवेदन किया था कि
स्वतंत्र होने के पश्चात् हमने देखा कि हमारा
समाज अनेकों व्याधियों से ग्रस्त है और हमने
यह भी देखा कि हमारी वे व्याधियाँ, वे कुप्रथायें
हमारे समाज की प्रगति में बाधक बनी हुई हैं।
हमने निश्चय किया कि हम उन सामाजिक
कुरीतियों का उन्मूलन करें और अपनी
सामाजिक क्रांति के लिये समाज-सुधार के
अनेकों कानून लायें। पिछले दस बारह साल
में इस प्रतिष्ठित सदन ने ही कितने ही सामा-
जिक सुधार के कानूनों पर अपनी मोहर लगाई
है। लेकिन उन प्रयत्नों के बावजूद भी आज
हम देखते हैं कि हमारे समाज में कितनी ही
भयंकर कुप्रथाएं मौजूद हैं। उनमें से दहेज
और अनमेल विवाह या असमान विवाह, ये
दो प्रथाएं इतनी घातक हैं कि आज इनसे
समाज की प्रगति अवरुद्ध हो रही है। दहेज
के लिये विधान हम बना ही रहे हैं लेकिन
अनमेल और असमान विवाह जो है वह भी
समाज की प्रगति के लिये, समाज की उन्नति
के लिये इतना ही घातक है जितना कि दहेज
और आज अनमेल विवाह के कारण अपने
समाज का शुभ मस्तिष्क कलंकित होता
है। आज इसीलिये मैंने यह आवश्यक समझा
कि मैं अपने इस प्रस्ताव के द्वारा इस अनमेल
विवाह की कुप्रथा के प्रति इस सदन का ध्यान
आकर्षित करूं।

मेरे प्रस्ताव का उद्देश्य यह है कि अनमेल
विवाह पर वैधानिक रोक लगनी चाहिये।
मैं चाहती हूँ कि विवाह के लिये उद्यत पुरुष
और स्त्री आयु में यदि पन्द्रह साल से अधिक
का अन्तर हो तो इस प्रकार के विवाह को